

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 1 / 2017 282

बनाम (1) लालू पिला पुत्रा मनी कान्जुवा  
 (2) बुल्लापिला मीडा मनी कान्जुवा  
 (3) लालू पिला पुत्रा मनी कान्जुवा  
 (4) कान्जुवा पिला मीडा मनी कान्जुवा  
 (5) कान्जुवा पिला मीडा मनी कान्जुवा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0

- आदेश :-

दिनांक- 12/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री एडि मिह कान्जुवा ने जरिये अधिकाधिक श्री विठ्ठलपुत्रा कान्जुवा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संपत्त खाते की भूमि ग्राम कान्जुवा तह0 माण्डलगढ में आराजी न0 182, 183, 201/1, 202/1, 249/1, 286/1, 307/1, 335/1 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सार्वा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाये साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिकाधिक की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072/2075 के अवलोकन से प्रार्थी कान्जुवा आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने कीबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम कान्जुवा की आराजी न0 182, 183, 201/1, 202/1, 249/1, 286/1, 307/1, 335/1, 340/1, 345/1 रकबा 10 बीघा 07 बिस्वा 07 की बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी किले जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 650 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

12/5